झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09 ____________/ 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के तकनीकी संवर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों तथा तत्संबंधी मामलों के लिए संलग्न नियमावली गठित किया जाता है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से
(हस्ताक्षर) 11.9.13
(वंदना दादेल)
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, रॉची।

ज्ञापांक 06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09 1733 /रॉची, दिनांक 11.09.13 /

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनुरोध है कि नियमावली की 250 प्रतियाँ उद्योग विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(हस्ताक्षर) 11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, रॉची।

ज्ञापांक 06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09 1733 /रॉची, दिनांक 11.09.13 /

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखंड, रॉची/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रॉची/सचिव, विधि विभाग, झारखंड, रॉची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, रॉची।

ज्ञापांक 06/हस्त0यो0 (सेवा नियमावली)–1907/09 1733 /रॉची, दिनांक 11.09.13 /

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखंड, रॉची/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, झारखंड/निदेशक, उद्योग/निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, झारखंड, रॉची/महाधिवक्ता कार्यालय, झारखंड उच्च न्यायालय, रॉची/राज्यपाल सचिवालय, रॉची/मुख्यमंत्री सचिवालय, रॉची/झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रॉची/झारखंड लोक सेवा आयोग, रॉची/सचिव, राजस्व पर्षद, झारखंड, रॉची/ संयुक्त निदेशक (रेशम)/उप उद्योग निदेशक, झारखंड, रॉची/सभी संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11.9.13
सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखंड, रॉची।

Adhisuchana

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

अधिसूचना

संख्या______________/राँची, दिनाँक______________/

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल झारखण्ड राज्य के उद्योग विभाग के अधीन हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के तकनीकी संवर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नांकित नियमावली गठित करते हैः–

भाग–1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :–**

I यह नियमावली झारखण्ड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली 2013 कही जायेगी।
II इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
III यह शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत होगी।
IV इसके प्रभाव से पूर्व निर्धारित योग्यता एवं अनुभव इस हद तक स्वतः संशोधित होगें।

2. **परिभाषाएँ** :–जब तक कोइ बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो इस नियमावली में –

I राज्य से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य;
II विभाग से अभिप्रेत है उद्योग विभाग;
III सेवा से अभिप्रेत है हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग की सेवा;
IV संवर्ग से अभिप्रेत है हस्तशिल्प तकनीकी संवर्ग;
V नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची;
VI नियमावली से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य हस्तशिल्प अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली 2013;
VII विभागाध्यक्ष से अभिप्रेत है, निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची;
VIII आयोग से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।

संवर्ग की रचना एवं बल :

हस्तशिलप प्रक्षेत्र के अराजपत्रित सेवा संवर्ग में मूलतः दो कोटि के कर्मी सीधी नियुक्ति से आते हैं।

पर्यवेक्षकीय स्तर पर तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पदधारक एवं कनीय स्तर पर कुशल शिल्पी (सहायक सह उत्पादक) एवं समकक्ष पदधारक। सभी दोनो स्तर के समकक्षीय पद निम्नवत होगें।

(क) तकनीकी पर्यवेक्षक एवं समकक्ष

(i) तकनीकी पर्यवेक्षक (ii) पर्यवेक्षक (iii) चार्ज हैंण्ड (iv) अधीक्षक

(ख) सहायक सह उत्पादक

(i) कुशल शिल्पी (ii) पॉलिसर सह पेन्टर (iii) सॉ मिल सहायक पँच (iv) हेल्पर

हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के अधीनस्थ तकनीकी सेवा संवर्ग की संरचना निम्नवत होगी–

क्र	वर्त्तमान पदनाम / वेतनमान
1	संगठक सह कलाकार राजपत्रित वर्ग–II 9300-34800GP-4600
2	तकनीकी पर्यवेक्षक / पर्यवेक्षक / चार्ज हैण्ड / अधिक्षक 9300-34800GP-4200
3	दक्ष शिल्पी / वरीये अनुदेशक / लूम फिटर / तकनीकी संगठक 5200-20200GP-2400
4	(क) कुशल शिल्पी / पॅलिसर सह पेंटर / सॉ मिल सहायक पॅंच 5200-20200 GP-1900 (ख) हेल्पर 5200-20200 GP-1800

हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के तकनीकी पदों की विवरणी परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

भाग–2 (क)

संगठक सह कलाकार पद पर भर्ती / नियुक्ति
(PB-2, वेतनमान् 9300–34800 ग्रेड वेतन–4600)

1. इस संवर्ग में नियुक्त कर्मी हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों में संगठक सह कलाकार एवं समकक्ष पदों पर पदस्थापित होंगे।
2. यह पद राजपत्रित वर्ग – II का पद है।
3. यह पद पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पद की प्रोन्नति का पद है।
4. रिक्तियों का नियतीकरणः– प्रत्येक वर्ष की 1 ली जनवरी को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का नियतीकरण किया जाएगा।
5. भर्ती के स्रोत :– (क) प्रोन्नति – 100%

भाग–2 (ख)

पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती / नियुक्ति
वेतनमान 9300-34800GP-4200

6. इस संवर्ग में नियुक्त कर्मी हस्तशिल्प प्रक्षेत्र के विभिन्न केन्द्रों में पर्यवेक्षक एवं समकक्ष पदों पर पदस्थापित होंगे।
7. रिक्तियों का नियतीकरणः– प्रत्येक वर्ष की 1 ली जनवरी को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का नियतीकरण किया जाएगा।
8. भर्ती के स्रोत :– (क) सीधी भर्ती – 75%
   (ख) प्रोन्नति – 25%

भाग–3 (ख)
सीधी भर्ती द्वारा हेल्पर/कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति
वेतनमान 5200-20200 GP-1900

1. सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया:– रिक्तियों की आकलित संख्या के आधार पर विभाग द्वारा रोस्टर तैयार किया जाएगा। रिक्तियों की संख्या का कोटिवार आरक्षण रोस्टर एवं अधियाचना प्राप्त होने पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती हेतु पदों को विज्ञापित किया जाएगा। आयोग द्वारा लिखित/मौखिक परीक्षा के आधार पर तैयार पैनल से इन पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी।
2. सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/अर्हतााएँ –

(I) शैक्षणिक योग्यता– • मैट्रिकुलेशन के साथ हस्तशिल्प में 1 वर्ष का सटिर्फिकेट कोर्स
• मैट्रिकुलेशन के साथ हस्तशिल्प क्षेत्र में अर्द्ध ख्याति संस्थान से दो वर्ष का कार्य अनुभव

(II) उम्र– निर्धारित तिथि को न्यूनतम–18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र कार्मिक, प्रशसनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र के अनुरूप होगी। अनु०जाति/जन जाति एवं महिला/विकलांगों/ओ0बी0सी0 अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को कार्मिक, प्रसासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र के अनुरूप अधिकतम उम्र में छूट देय होगी।

3. रिक्तियों का संसूचन– प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को होने वाली रिक्तियों की सूचना प्रशासी विभाग, आयोग को देगा।

भाग–4
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

1. प्रोन्नति का पद सोपान – संवर्ग में उल्लिखित पदों का पद सोपान परिशिष्ट 'क' के अनरूप होगा।
2. प्रोन्नति हेतु कालावधि – कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुरूप होगी।
3. रिक्तियों का नियतीकरण – प्रत्येक वर्ष की 1 ली जनवरी को विभाग में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों का नियतीकरण किया जाएगा।
4. प्रोन्नति की प्रक्रिया– प्रत्येक श्रेणी के पदों हेतु निर्धारित प्रोन्नति श्रेणी के पदों पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति दी जाएगी। आकलित रिक्तियों का आरक्षणवार रोस्टर तैयार करने के उपरांत वरीयता सह योग्यता सूची के अपेक्षित अहर्त्ता वाले कर्मियों के प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अनुशंसा की जाएगी।

नोट:– हस्तशिल्प तकनीकी संवर्ग में उल्लेखित पदों का पद सोपान परिशिष्ट–'क' एवं 'ख' के अनुसार होगा।

भाग–5

विविध

1. **परिवीक्षा (Probation)**– परिशिष्ट 'क' के क्रम सं०–2 एवं 4 के पद पर सीधी नियुक्त कर्मियों के लिए 2 वर्षों की परीवीक्षा की अवधि होगी। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा परीवीक्षा अवधि से सफलतापूर्वक पूर्ण होने की स्थिति में ही उन्हें नियमित नियुक्त समझा जाएगा। ऐसा नहीं होने की स्थिति में परीवीक्षा अवधि एक साल बढ़ायी जा सकती है या असंतुष्ट सेवा के कारण संबंधित कर्मी को विभाग द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है।

2. **प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा**– समय समय पर विभाग द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण हेतु भी भेजा जा सकता है जिसे सफलतापूवर्क पूर्ण करना संबंधित कर्मी की जिम्मेवारी होगी। प्रत्येक वर्ग के सरकारी सेवकों के लिए विहित कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात हीं कार्मिक प्रबंधन से संबंधित सभी लाभ यथा सेवा सम्पुष्टि, वार्षिक वेतन वृद्धि, उच्चतर पदों पर प्रोन्नति इत्यादि प्रदान की जाएगी। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्रों के अनुरूप हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा जन० जातीय भाषा संबंधी परीक्षा उत्तीर्ण करना भी आवश्यक होगा। हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा जन जातीय भाषा संबंधी परीक्षा पास न होने की स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि अवरूद्ध रहेगी। उपर्युक्त परीक्षा पास करने की बाध्यता सभी संवर्ग के कर्मियों के लिए समान रूप से लागू होगी। संगठक सह कलाकार पद धारकों को एक वर्ष के अंदर विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा अन्यथा अगली वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी।

3. **सेवा संपुष्टि**– संवर्ग में नियुक्त/प्रोन्नत कर्मियों की सेवा संपुष्टि झारखण्ड सेवा संहिता के नियमों/प्रावधानों के अंतर्गत की जाएगी। सेवा सम्पुष्टि के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा परीक्षा में उतीर्ण होना आवश्यक होगा और कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् हीं सेवा सम्पुष्टि की जाएगी।

4. **प्रशासनिक नियंत्रण**–संवर्ग के अंतर्गत सभी पद राज्य स्तरीय है। इस लिए सेवा शर्त्तो से संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हंस्तशिल्प, झारखंड, राँची में समाहित होगा।

5. **अनुसाशनिक कार्रवाई**– संवर्ग के पदधारकों के विरुद्ध अनुसाशनिक कार्रवाई का अधिकार विभागाध्यक्ष के अधीन होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य में प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के तहत नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

   इस दण्ड के विरूद्ध सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड के समक्ष दण्डादेश की प्राप्ति/सूचना प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर अपील कर सकेगें। इस सम्बन्ध में सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड का आदेश अंतिम होगा।

6. **स्थानान्तरण**–इस संवर्ग के सभी कर्मियों की सेवा राज्य स्तरीय सेवा है। संवर्ग के कर्मियों का स्थानान्तरण निदेशालय स्तर पर गठित स्थापना समिति द्वारा सामान्यतः किया जाएगा। स्थापना समिति निम्नवत होगी–

(क)	निदेशक, हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प	–	अध्यक्ष
(ख)	संयुक्त निदेशक (रेशम)/उप उद्योग निदेशक (रेशम)	–	सदस्य
(ग)	अवर सचिव (स्थापना)/उप उद्योग निदेशक(स्थापना)	–	सदस्य सचिव
(घ)	अनुसूचित जाति/जनजाति का एक विभागीय पदा०	–	सदस्य
(ड.)	उप उद्योग निदेशक (हस्तकरघा/हस्तशिल्प)	–	सदस्य

7. **सेवा की अन्य शर्तें –**

(क) पुरस्कार/प्रशस्ति पत्र – किसी कर्मी को उनके विशेष कार्य/उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पुरस्कृत करने या प्रशस्ति पत्र देने का अधिकार विभागाध्यक्ष का होगा जो उच्चाधिकार गठित समिति द्वारा किए कार्यों के मूल्यांकन के उपरांत अनुशंसा के आलोक में प्रदत्त किया जाएगा।

(ख) सेवा संवर्ग के संबंधित कर्मियों का वार्षिक चारित्रिक अभ्युक्ति नियंत्री पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आलेखित की जाएगी।

(ग) संवर्ग के कर्मियों को देय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत लाभों की स्वीकृति/प्रोन्नति देय तिथि से सरकार द्वारा घोषित नियमानुसार लागू होगी।

(घ) अवकाश/सेवापुस्त आदि के संबंध में समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत एतदर्थ अनुदेश प्रभावी होंगे।

8. **प्रकीर्ण:–**

(क) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में ऊपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखंड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के पदाधिकारी/कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। पदाधिकारी/कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को होगी।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

(ग) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

9. **निरसन :–**

(क) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर बिहार सरकार द्वारा बनायी गयी बोर्ड नियमावली या निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

व्यावृत्ति

(ख) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लिखित आदेश के द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी। मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

11.9.13

सचिव,

उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची

परिशिष्ट–'क'

पदोन्नति हेतु पद सोपान

परियोजना प्रबंधक–राजपत्रित वर्ग–2–मूल कोटि (उद्योग सेवा संवर्ग)
(वेतनमान–9300-34800, G.Pay 4800)

↑ **पदोन्नति प्रतिशत–100%**

संगठक सह कलाकार
(वेतनमान 9300–34800GP-4600)
राजपत्रित वर्ग–2

↑ **पदोन्नति प्रतिशत–100%**

अधीक्षक (हस्तशिल्प) एवं अन्य समक्षक पदधारक
तकनीकी पर्यवेक्षक
(वेतनमान–9300–34800GP-4200)

↑ सीधी नियुक्ति–75%
पदोन्नति प्रतिशत–25%

दक्ष शिल्पी / वरीये अनुदेशक / लूम फिटर / तकनीकी संगठक
(वेतनमान 5200–20200GP-2400 इंटर उत्तीर्ण हेतु)

↑ **पदोन्नति प्रतिशत–100%**

(क) कुशल शिल्पी / पोलिसर सह पेंटर /
सॉ मिल सहायक पँच / हेल्फर
(वेतनमान– 5200–20200 GP-1900)
(ख) हेल्पर (स्वीकृत–2 पद)
(पदों के खाली होने पर कुशल शिल्पी एवं समकक्ष के साथ मर्ज कर लिया जाएगा, वर्तमान में प्रोन्नति में वरीयता कुशल शिल्पी को दिया जाएगा)
(वेतनमान–5200-20200, G.Pay-1800 for matric)
सीधी नियुक्ति– 100%

परिशिष्ट–ख

हस्तशिल्प तकनीकी संवर्ग में सेवा संवर्ग की रचना एवं पद का विवरणी:–

क्र0	पदो के पदनाम /प्रस्तावित पदनाम	वर्त्तमान स्वीकृत पदो की संख्या	वर्त्तमान वेतनमान	प्रोन्नति हेतु वांछित योग्यता	
				प्रोन्नति हेतु अपेक्षित पदधारक/फीडर पद का नाम	योग्यता एवं अनुभव
1	संगठक सह कलाकार (राजपत्रित वर्ग–II)	01	9300–34800 (G.Pay-4600)	तकनीकी पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/चार्ज हैण्ड/अधिक्षक	हस्तशिल्प में डिग्री/ डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान से
2	तकनीकी पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक/चार्ज हैण्ड/अधिक्षक	07	9300–34800 (G.Pay-4200)	दक्ष शिल्पी/वरीये अनुदेषक/लूम फिटर /तकनीकी संगठक	
3	दक्ष शिल्पी/वरीये अनुदेशक/लूम फिटर/तकनीकी संगठक	82	5200–20200 (G.Pay-2400)	(क) कुशल शिल्पी/पोलिसर सह पेंटर/सॉ मिल सहायक पँच (ख) हेल्पर	इंटर के साथ हस्तशिल्प में मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीय ~~सर्टिफिकेट~~ कोर्स अथवा ख्याती प्राप्त संस्थान में 2 वर्ष का अनुभव
4	(क) कुशल शिल्पी/पोलिसर सह पेंटर/सॉ मिल सहायक पँच (ख) हेल्पर	184 02	5200–20200 (G.Pay-1900) 4440–7440 (G.Pay-1800)		मैट्रिकुलेशन के साथ हस्तशिल्प में मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीये सर्टिफिकेट कोर्स

परिशिष्ट 'ग'

क्र०सं०	पदों का नाम (वेतनमान सहित)	नियुक्ति की प्रक्रिया; सीधी नियुक्ति / प्रोन्नति के प्रतिशत सहित	सीधी नियुक्ति			प्रोन्नति द्वारा		अभ्युक्ति
			शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम उम्र	अधिकतम उम्र	प्रोन्नति हेतु अपेक्षित पदधारक / फीडर पद का नाम	योग्यता एवं अनुभव	
1	संगठक सह कलाकार (9300–34,800)GP-4600	प्रोन्नति द्वारा 100%	–	–	अधिकतम उम्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र के अनुरूप होगी।	तकनीकी पर्यवेक्षक / पर्यवेक्षक / चार्ज हैण्ड / अधिक्षक (प्रस्तावित पदनाम–सहायक परियोजना पदाधिकारी)	हस्तशिल्प में डिग्री / डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान से	अ०जा० / अ०ज०जा० को 5 वर्षो का एवं महिला उम्मीदवारों को 3 वर्षो की छूट
2	तकनीकी पर्यवेक्षक / पर्यवेक्षक / चार्ज हैण्ड / अधीक्षक (9300–34,800)GP-4200	सीधी नियुक्ति 75% 25% प्रोन्नति से	हस्तशिल्प में डिग्री / डिप्लोमा मान्यता प्राप्त संस्थान से	21		दक्ष शिल्पी / वरीये अनुदेशक / लूम फिटर / तकनीकी संगठक (प्रस्तावित पदनाम–परियोजना समन्वयक)		
3	दक्ष शिल्पी / वरीये अनुदेशक / लूम फिटर / तकनीकी संगठक (5200–20200)GP-2400 इंटर उत्तीर्ण हेतु	प्रोन्नति द्वारा 100%				(क) कुशल शिल्पी / पोलिसर सह पेंटर / सॉ मिल सहायक पँच (प्रस्तावित पदनाम–सहायक सह उत्पादक) (ख) हेल्पर (प्रस्तावित	इंटर के साथ हस्तशिल्प में मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीये सर्टिफिकेट कोर्स अथवा ख्याती प्राप्त संस्थान में 2 वर्ष का अनुभव	
4	(क) कुशल शिल्पी / पोलिसर सह पेंटर / सॉ मिल सहायक पँच (ख) हेल्पर / कुशल शिल्पी वेतनमान–5200–20200 GP-1900	सीधी नियुक्ति 100%	मैट्रिकुलेशन के साथ हस्तशिल्प में मान्यता प्राप्त संस्थान से एक वर्षीये सर्टिफिकेट कोर्स अथवा ख्याती प्राप्त संस्थान में 2 वर्ष का अनुभव	18				